



संख्या- 11 नि०गो०वि०(1)22/2016..... / दिनांक-/2026

आदेश

श्री श्रीनिवास सिंह, अनुसेवक, प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, दरिगाँव, रोहतास (सासाराम) प्रतिनियुक्त प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, पूर्वी भेलारी, रोहतास, सासाराम के विरुद्ध दर्ज दावथ थाना काण्ड संख्या- 26/1997, दिनांक-25.05.97 में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रोहतास, सासाराम द्वारा दिनांक- 29.02.2016 को पारित न्याय निर्णय में उन्हें 5 (पाँच) साल की सश्रम कारावास एवं 5000/- (पाँच हजार रूपया) मात्र का आर्थिक दण्ड की सजा दी गयी।

2. उक्त न्याय निर्णय के विरुद्ध श्री सिंह के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में Criminal Appeal (SJ) No.-182/2016 दाखिल किया गया, जिसमें श्री सिंह को रू० 10,000/- (दस हजार) के मुचलके पर जमानत दी गयी है।

3. उक्त मामले में विधि विभाग, बिहार, पटना के परामर्श के उपरान्त श्री सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के निहित प्रक्रिया एवं प्रावधान का अनुपालन करते हुए पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक-2221(नि०), दिनांक-30.07.2020 द्वारा श्री श्रीनिवास सिंह, अनुसेवक, प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, दरिगाँव, रोहतास (सासाराम) प्रतिनियुक्त प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, पूर्वी भेलारी, रोहतास, सासाराम के विरुद्ध सरकारी सेवा से बर्खास्तगी की शास्ति अधिरोपित की गयी।

4 श्री सिंह द्वारा अधिरोपित शास्ति के विरुद्ध सी०डब्लू०जे०सी० सं०-10566/2021 दायर की गयी। सी०डब्लू०जे०सी० सं०-10566/2021 श्रीनिवास सिंह के मृत्योपरांत सुमित्रा देवी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में दिनांक 07.07.2026 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवतः है-

".....5. Having considered the submissions advanced by learned Advocate for the respective parties and taking note of the fact that the order of dismissal is based upon the conviction and sentence passed in Sessions Trial No. 36 of 1998, which has already been set aside in Criminal Appeal (S.J.) No. 182 of 2016 vide judgment and order dated 17.03.2026 by a Bench of this Court, this Court finds substance in the submissions of the learned Advocate for the petitioner. Once the very basis of dismissal is no more in existence, the same must be recalled by the authorities and if the same has not been done till date, this Court is of the considered opinion that it should be set aside.

.....6. Accordingly, the **impugned order dated 30.07.2020 as contained in Letter No. 2221 passed by the Director, Animal Husbandry Department, Bihar, Patna is hereby set aside.** The respondent no. 2 is directed to consider the claim of death-cumretiral benefits as well as family pension in favor of the petitioner and



बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
पटना-800014



pass appropriate order, extending such benefits preferably within a period of eight weeks from the date of receipt/production of a copy of this order.

.....7. The writ petition stands allowed in accordance with law."

5. उक्त मामले में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से परामर्श की अपेक्षा की गयी। सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त परामर्श निम्नवत् है :-

"माननीय उच्च न्यायालय ने न्यायादेश दिनांक-07.07.2026 द्वारा स्व० सिंह के सेवा से बर्खास्तगी संबंधी आदेश को निरस्त कर दिया गया है। प्रशासी विभाग द्वारा स्व० सिंह से संबंधित बर्खास्तगी आदेश को निरस्त किया जाना होगा तथा उनके आश्रित को उनके सेवान्तीय लाभ सहित अनुमान्य भुगतान किया जाना होगा।"

6. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं विभागीय मंतव्य के आलोक में समीक्षोपरान्त स्व० श्रीनिवास सिंह के विरुद्ध सेवा से बर्खास्तगी आदेश ज्ञापांक-2221(नि०), दिनांक-30.07.2020 को निरस्त करते हुए बर्खास्तगी की तिथि से सेवा में पुनर्स्थापित मानते हुए उनके आश्रित को सेवान्तीय लाभ सहित अनुमान्य भुगतान का निर्णय संसूचित किया जाता है।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह०/-

निदेशक, पशुपालन।

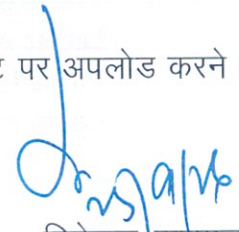
ज्ञापांक- 11 नि०गो०वि०(1)22/2016 - 4258(नि०)/ दिनांक- 28/09/2026

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/ जिला कोषागार पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- श्रीमती सुमित्रा देवी, पति स्व० श्रीनिवास सिंह, अनुसेवक, प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, दरिगाँव, रोहतास, सासाराम, वर्तमान पता-ग्राम-तिलकापुर, मोहनियाँ, थाना- करगहर, जिला- रोहतास, सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला पशुपालन पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम/क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना/ उप निदेशक (मु०) अराजपत्रित स्थापना, पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- विभागीय आई० टी० मैनेजर को (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधितों को ई-मेल करने) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक, पशुपालन।